राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग

क्रमांक : प.15(7)शिक्षा–1/प्रा.शि./2008

जयपुर, दिनांक : 18/5/2009

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः– निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2009–10 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जयपुर से जारी मान्यता/सीट आवंटन पत्र के आधार पर निर्देशानुसार निम्नलिखित 08 निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में अंकित प्रशिक्षण पाठयक्रम में कॉलम संख्या 5 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2009–10 में राज्य में वर्तमान में प्रचलित प्रवेश नियमों के तहत काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	एन.सी.टी.ई. का पत्रांक/ दिनांक	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
(1)	F.NRC/NCTE/RJ-1905/2008/62957-63 Dated 19.09.2008	चौधरी बीएसटीसी स्कूल, राजगढ़, चुरु	STC	50
(2)	F.NRC/NCTE/RJ-1053/2008/63094-100 Dated 22.09.2008	वर्धमान शिक्षक प्रशिक्षण बीएसटीसी विद्यालय, गाव–पो. गोकुलपुरा, सीकर	STC	50
(3)	F.NRC/NCTE/RJ-1509/2008/64252-58 Dated 30.09.2008	अरावली एसटीसी कॉलेज, कालका माता रोड, उदयपुर	STC	50
(4)	F.NRC/NCTE/RJ-1366/2008/64016-22 Dated 29.09.2008	भारती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अनन्तपुरा, लाडपुरा, कोटा	STC	50
(5)	F.NRC/NCTE/RJ-1651/2008/64406-12 Dated 01.10.2008	सरस्वती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बाडडी, डीडवाना, नागौर	STC	50
(6)	F.NRC/NCTE/RJ-1924/2008/67275 Dated 23.12.2008	चौधरी मनीराम स्कूल ऑफ बीएसटीसी, सेक्टर–3, हनुमानगढ़ टाउन	STC	50
(7)	F.NRC/NCTE/RJ-1717/2008/67289 Dated 23.12.2008	भारतीय प्रशिक्षण संस्थान, बिजोरावास, महाराजावास रोड, बहरोड़, अलवर	STC/JBT	50
(8)	F.NRC/NCTE/RJ-937/2008/67296 Dated 23.12.2008	ज्योति शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय, अहिंसापुरा, फतेहपुरा, उदयपुर	STC	50

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संबंधित संस्थाओं के मान्यता/सीट आवंटन पत्रों में अंकित निम्नांकित शर्तों की पूर्ति की सुनिश्चितता किये जाने के पश्चात् ही संस्थाओं को छात्र आवंटित किये जावें:–

(i) The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into a joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

(ii) The institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

D:\Letter & Notesheet\Ban Ji\STC Recognition.doc

भारती शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अनन्तपुरा, कोटा

(iii) The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10.12.2007.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के विनियम 7(11) के तहत इन संस्थाओं को उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति के अधीन मान्यता/सीट आवंटन पत्र जारी किये गये है, जबकि इन्हीं विनियमों के विनियम 8(12) के तहत क्षेत्रीय समिति द्वारा विनियम 7(11) के अधीन मान्यता का आदेश प्राप्त होने और परीक्षण निकाय के साथ संबंधन प्राप्त होने के बाद ही संस्था में छात्र प्रविष्ठ किये जाने का प्रावधान है. इसलिए इन संस्थाओं को क्रम संख्या (i) पर अंकित शर्त की पालना किये जाने पर ही छात्र आवंटित किये जावे।

18/5/2009
शासन उप सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
4. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
6. समन्वयक, बीएसटीसी/एनटीटी 2009 व प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर।
7. संबंधित संस्था ....
8. रक्षित पत्रावली ।

18.5.2009
शासन उप सचिव